केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा

# हम एम्स को कमजोर नहीं होने देंगे

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि वह नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में पढ़ाई और शिक्षण कर्मियों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आने देंगे और इस ब्रांड की रक्षा करेंगे। नड्डा ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सेवाएं दे रहे बिहार और झारखंड के चिकित्सकों के मंच द्वारा आयोजित बीजेएमएफकान-2024 को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली एम्स की स्थापना 60 के दशक में हुई और 80 के दशक में ही यह एक ब्रांड के रूप में उभर पाया। उन्होंने कहा, किसी भी संस्थान को विकास करने और पूरी क्षमता से काम करने में 10 से 20 साल का समय लगता है। मैं एम्स के मानकों को कमजोर नहीं होने दूंगा और ब्रांड नाम की रक्षा करूंगा।

नड्डा ने कहा कि शिक्षण कर्मियों की भर्ती में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स-दरभंगा के लिए जल्द ही भूमिपूजन समारोह आयोजित किया जाएगा

**नड्डा ने कहा कि शिक्षण कर्मियों की भर्ती में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एम्स-दरभंगा के लिए जल्द ही भूमिपूजन समारोह आयोजित किया जाएगा और एम्स-देवघर का काम शुरू हो चुका है और कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।**

और एम्स-देवघर का काम शुरू हो चुका है और कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

नड्डा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य में बदलाव लाने के लिए कई नीतिगत हस्तक्षेप किए गए हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य नीति-2017 में हमने इसे व्यापक और समग्र बनाने का प्रयास किया। पहले उपचारात्मक पहलू पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक उपशामक और पुनर्वास पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो एक समग्र दृष्टिकोण है। नड्डा ने कहा कि जिन सुविधाओं को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और उप-केंद्र कहा जाता था उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1.73 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और उनकी गुणवत्ता का आकलन डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का ध्यान गैर-संचारी रोगों का शीघ्र पता लगाने पर है।

उन्होंने बताया कि बिहार में 10,716 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें अब तक 8.35 करोड़ लोग आए हैं और गैर-संचारी रोगों के लिए 4.36 करोड़ जांच की गई । नड्डा ने कहा कि झारखंड में 3,825 आरोग्य मंदिर हैं, जिनका लाभ अबतक 2.33 करोड़ लोगों ने लिया है। उन्होंने कहा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार किस तरह सुनिश्चित कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम छोर पर मौजूद लोगों तक और लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।

# वायनाड निर्वाचन क्षेत्र गांधी परिवार के लिए सिर्फ विकल्प है : नव्या हरिदास

तिरुवनंतपुरम, 20 अक्तूबर (भाषा)।

केरल में वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार नव्या हरिदास ने रविवार को कहा कि गांधी परिवार इस निर्वाचन क्षेत्र को महज एक विकल्प या दूसरी सीट के रूप में देख रहा है और इस क्षेत्र के लोगों को अब यह बात समझ आ गई है। कोझिकोड निगम में दो बार पार्षद रहीं हरिदास ने कहा कि वायनाड के मतदाता एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके लिए खड़ा हो और उनकी समस्याओं का समाधान करे।

कोझिकोड में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरिदास ने कहा कि जहां तक पूरे देश का सवाल है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा कोई नया चेहरा नहीं हैं, लेकिन वायनाड के लिए वह नई हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'प्रियंका गांधी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में आ रही हैं, जो संसद में वायनाड के मुद्दों को उठाने में विफल रहा है।'

उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों ने इस विश्वास के साथ राहुल गांधी को जनादेश दिया था कि वह अगले पांच साल तक उनके साथ रहेंगे, लेकिन जब उन्हें रायबरेली को अपने पास रखने का मौका मिला तो गांधी परिवार के वारिस ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों को अब यह एहसास हो गया है कि इस निर्वाचन क्षेत्र को गांधी परिवार सिर्फ एक दूसरी सीट या विकल्प के रूप में देखता है। हरिदास ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी काफी आश्चर्यजनक है और उन्होंने विश्वास जताया कि 13 नवंबर को होने वाले चुनाव के दौरान वायनाड में पार्टी का वोट फीसद बढ़ेगा।

## जम्मू-कश्मीर : वाहन खाई में गिरा, दो लोगों की मौत, तीन घायल

जम्मू, 20 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक मालवाहक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गंडोह क्षेत्र के बत्तरा गांव के पास शनिवार और रविवार की दरमियानी रात यह दुर्घटना हुई।

उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शकील अहमद (20) और मोहम्मद सयाम (18) ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले सितंबर माह में डोडा जिले में एक कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी थी। दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।

## मध्यप्रदेश : ढहे मकान के मलबे से मां-बेटी के शव बरामद

मुरैना, 19 अक्तूबर (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मुरैना शहर में एक मकान के ढह जाने के बाद रविवार सुबह मलबे से एक महिला और उसकी बेटी का शव बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने पहले बताया था कि शनिवार दोपहर के आसपास संभवतः रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट के कारण मकान ढह गया। अधिकारियों ने बाद में बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जाएगी। पुलिस के अनुमंडल अधिकारी रवि भदौरिया ने संवाददाताओं को बताया कि 21 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद रविवार सुबह मकान के मलबे से मां-बेटी के शव बरामद किए गए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

उन्होंने बताया कि चूंकि यह एक घनी आबादी वाला इलाका है ऐसे में आस-पास के मकानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाते हुए बचाव अभियान को अंजाम दिया गया जिसके कारण

**अधिकारियों ने बाद में बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जाएगी।**

इसमें समय लगा। विस्फोट के कारण के बारे में पूछे जाने पर भदौरिया ने कहा कि घटनास्थल से फारेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हैं और उनकी जांच के बाद सही वजह सामने आएगी। उन्होंने बताया कि मलबे में एक सिलेंडर, एक फटी हुई बैटरी और एक डीप फ्रीजर के हिस्से मिले हैं।

उन्होंने बताया कि सभी साक्ष्यों की जांच करने के बाद, पुलिस (विस्फोट के कारण पर) किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। पुलिस द्वारा इससे पहले जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि यह घटना शनिवार दोपहर के आसपास मुरैना शहर के इस्लामपुरा इलाके में हुई। राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एसडीईआरएफ), दमकल विभाग और स्थानीय नगर निकाय की टीम मौके पर पहुंचीं। विज्ञप्ति में कहा गया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि संभवतः रसोई गैस सिलेंडर के कारण विस्फोट हुआ होगा, जिसके बाद घर ढह गया। कुछ मीडिया की खबरों में पहले दावा किया गया कि विस्फोट एक पटाखा फैक्टरी में हुआ है। पुलिस ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है।

शिवसेना (उद्धव) नेता संजय राउत ने कहा

# महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का समय तय करना भाजपा की चाल

मुंबई, 20 अक्तूबर (भाषा)।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए केवल 48 घंटे का समय निर्धारित किया जाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चाल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाविकास आघाडी (एमवीए) सरकार बनाने का दावा करने में असमर्थ हो जाए।

मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होना हैं और 23 नवंबर को मतगणना होगी। राज्यसभा सदस्य ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया, 'अमित शाह के साथ-साथ भाजपा ने यह स्वीकार कर लिया है कि पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। ऐसा लगता है कि महाविकास आघाडी को सरकार बनाने के बारे में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए समय समिति करने की रणनीति है। अगर एमवीए के घटक दावा करने में विफल रहते हैं, तो राज्यपाल छह माह के लिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे।'

उन्होंने दावा किया कि भाजपा एमवीए को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोजन ने चुनाव कार्यक्रम इस तरह तय किए हैं कि यह एमवीए के प्रभावी रूप से सरकार बनाने के अवसर को सीमित कर देता है।' शिवसेना (यूबीटी) नेता ने यह भी कहा कि मतगणना 23 नवंबर को होगी, जिसका मतलब है कि एमवीए के घटक दलों - शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और अन्य छोटे दलों के पास सरकार बनाने के लिए केवल 48 घंटे होंगे। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया, 'निर्वाचन आयोग का यह कदम भाजपा प्रवक्ता के समान है। आयोग ईवीएम का समर्थन करता है, लेकिन जब हम हरियाणा चुनावों में इन मशीनों के साथ कथित छेड़छाड़ के बारे में कहते हैं तो यह चुप्पी साध लेता है। आयोग ने लोकसभा चुनावों के दौरान धन के दुरुपयोग की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं थी।'

राउत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के चुनावों की घोषणा से ठीक पहले लगभग 200 विधानसभा क्षेत्रों में 15 करोड़ वितरित करने का फैसला किया और यह सरकार का धन था।

## गुजरात में महिला पंचायत सदस्य पर हमला, बाल काटे गए

तापी, 20 अक्तूबर (भाषा)।

गुजरात के तापी जिले में कथित प्रेम संबंध को लेकर एक महिला तालुका पंचायत सदस्य की कुछ लोगों ने पिटाई की और उसके बाल काट दिए। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। सोनगढ़ तालुका पंचायत की उर्मिला गामित पर शनिवार शाम एक महिला और तीन पुरुषों ने हमला किया तथा हाकी स्टिक से उसकी पिटाई की। सोनगढ़ थाने के अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने उसके बाल भी काट दिए। पुलिस अधिकारी के अनुसार, महिला को सार्वजनिक स्थान पर उस समय निशाना बनाया गया जब वह अपनी बेटी के साथ दोपहिया वाहन से घर जा रही थी। हमलावरों में से एक शोभना गामित ने उर्मिला पर उसके पति के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया।

## केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन 101 वर्ष के हुए

तिरुवनंतपुरम, 20 अक्तूबर (भाषा)।

दिग्गज वामपंथी नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन रविवार को 101 वर्ष के हो गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की राज्य इकाई के सचिव एम वी गोविंदन सहित नेताओं ने सोशल मीडिया पर अच्युतानंदन की तस्वीरें साझा करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। गोविंदन और मंत्री वी शिवनकुट्टी तथा जी आर अनिल सहित कई नेताओं ने अच्युतानंदन से उनके आवास पर मुलाकात की।

उनके बेटे वीए अरुण कुमार ने बताया कि हर जन्मदिन पर परिवार पायसम (एक पारंपरिक मिठाई) बनाता है। इस बार भी पायसम बनाया गया और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में केक काटा गया। इसके अलावा किसी अन्य समारोह का आयोजन नहीं किया गया।

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

**परिसंपत्ति वसूली शाखा, सं. 6, तृतीय तल, मेट्रो पिलर सं. 80 के सम्मुख, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005, मोबाइल : 7823919520, दूरभाष : 011-35008283, ईमेल : arbdelhi@kvbmail.com**

**ई-नीलामी सूचना ई-नीलामी 08-11-2024 को**

**सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ सार्वजनिक सूचना**

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत तथा निम्नवर्णित ऋणकर्ताओं / गारंटरों की ओर से अधोवर्णित शाखाओं के अंतर्गत करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को देय निम्नांकितानुसार प्रतिभूत ऋणों की वसूली हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिये गये निम्नलिखित ऋणकर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के अनुसरण में।

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अचल संपत्तियों की ई-नीलामी करने का निर्णय ले लिया है अतः "जैसी हैं जहाँ हैं", "जैसी हैं जो हैं", "वहाँ जो कुछ भी हैं" तथा "बिना संसाधन" आधार पर निम्नलिखित परिसंपत्तियों के क्रयार्थ ई-निविदा के माध्यम से प्रस्ताव निमंत्रित किये जाते हैं।

| ऋणकर्ता का नाम | ऋणप्रदायक शाखा | संपत्ति की अवस्थिति | संपत्ति की प्रकृति | आरक्षित मूल्य (रु. में) | धराज राशि (रु. में) | संपर्क हेतु व्यक्ति/ मो नं./ ईमेल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैसर्स गिरिराज टिंबर्स प्राइवेट लिमिटेड | जनकपुरी | खसरा सं. 73/10/2(0-01), 73/10/3 (0-12), 73/11/2(0-10), ग्राम मुंडका, दिल्ली के भूखण्ड पर स्थित वाणिज्यिक गोदाम जिसका क्षेत्राधिमापन लगभग 1050 वर्ग गज है। | वाणिज्यिक संपत्ति | 6,35,00,000 | 64,00,000 | श्री अतुल अग्रवाल, 7827006229 atulagarwal@kvbmail.com |

**ऋणकर्ताओं का विवरण :** जनकपुरी शाखा उधारकर्ता का नाम- 1) मैसर्स गिरिराज टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड 73/12, स्वर्ण पार्क, मेन रोहतक रोड, मुंडका, नई दिल्ली-110041, 2) श्री सुमित गोयल पुत्र- श्री चंद कुमार गोयल 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, 3) श्री चंद कुमार गोयल पुत्र प्रेम सागर गोयल 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, 4) श्रीमती सुमन गोयल पत्नी श्री अनिल गोयल 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, 5) श्रीमती वीणा गोयल पत्नी श्री चंद कुमार 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, 6) श्री शाँता गोयल पत्नी श्री प्रदीप गोयल मकान नं. 282, सेक्टर-10, पंचकूला, हरियाणा-134109, दिनाँक 30/09/2024 के अनुसार कुल बकाया राशि रु. 84,59,82,600.02 (रुपये चौरासी करोड़ उनसठ लाख बयासी हजार छह सौ और दो पैसे मात्र) है जिसका उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को राशि पर नियत अतिरिक्त ब्याज, लागतों, अन्य शुल्कों और व्ययों सहित भुगतान किया जाना है।

**अचल संपत्तियों का विवरण :**

बंधक प्रलेखों के अनुसार विवरण : खसरा संख्या 73/10/2(0-01); 73/10/3(0-12); 73/11/2(0-10) के प्लॉट पर व्यावसायिक गोदाम, जो गांव मुंडका, दिल्ली में स्थित, एक क्षेत्र जिसका अधिमापन लगभग 1050 वर्ग गज है, जो श्रीमती शांता गोयल पत्नी श्री प्रदीप गोयल के नाम पर और निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- मुख्य रोहतक मार्ग तथा मेट्रो स्टेशन, पूर्व- अन्य का भूखण्ड, पश्चिम- श्रीमती आर. के. मेहता का भंडारण गोदाम,

तिथि के अनुसार साइट के अनुरूप विवरण : खसरा संख्या 73/10/2(0-01); 73/10/3(0-12); 73/11/2(0-10) के प्लॉट पर व्यावसायिक गोदाम जो गांव मुंडका की राजस्व संपदा में, (राजधानी मेट्रो स्टेशन से सटा हुआ), स्वर्ण पार्क, मुंडका, दिल्ली-110041 में स्थित, एक क्षेत्र जिसका अधिमापन लगभग 1050 वर्ग गज है जिसमें 4511.95 वर्ग फीट का शेड है, जो श्रीमती शांता गोयल पत्नी श्री प्रदीप गोयल के नाम पर तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- मुख्य रोहतक मार्ग तथा मेट्रो स्टेशन, पूर्व- अन्य की संपत्ति, पश्चिम- अन्य की संपत्ति।

**आरक्षित मूल्य : रु. 6,35,00,000/- ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%) : रु. 64,00,000/-**
**बोली वृद्धिशील राशि : रु. 1,00,000/-**

| | |
|---|---|
| परिसंपत्ति का निरीक्षण | 21-10-2024 से 06-11-2024 तक 11.00 से 05.00 बजे के मध्य |
| ऑनलाइन निविदा एवं आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय | तिथि : 07-11-2024<br>समय : 5.00 बजे |
| ई-नीलामी की तिथि एवं समय | ई-नीलामी, पोर्टल के माध्यम से, जब तक विक्रय संपन्न नहीं हो जाता तब तक, 08-11-2024 को 11.00 से 11.30 बजे के मध्य 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ होगी। |
| नोडल बैंक खाता नाम | दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, सेंट्रल ऑफिस इन फेवर ऑफ मैसर्स गिरिराज टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता का नाम) खाता संख्या- 1101351000000973, आईएफएससी कोड : केवीबीएल0001101 |
| संपर्क हेतु व्यक्ति तथा उनका दूरभाष नंबर | ऊपर वर्णित तथा अंकित अनुसार |

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारे बैंक की / प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.kvb.co.in/Property पर नीलामी के अंतर्गत तथा हमारी ई-नीलामी सेवा प्रदात्री मैसर्स 4क्लोजर के वेब पोर्टल https://BankAuctions.IN पर भी उपलब्ध कराये गये लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

पूर्व ऋणभार- शून्य (बैंक की जानकारी में लाया गया)

**सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 9(1) तथा नियम 6(2) के अंतर्गत 15 दिवसीय सॉंविधिक सूचना**

ऋणकर्ता/ओं तथा गारंटर/रों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराशियों का भुगतान कर दें। ऐसा करने में विफल रहने पर, अनुसूचीगत संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया देयराशियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी।

**स्थान : दिल्ली** **कृते दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड**
**दिनाँक : 21/10/2024** **मुख्य प्रबंधक तथा प्राधिकृत अधिकारी**

**प्रपत्र सं. आईएनसी-26**

**[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]**

***केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष***

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में**

**तथा**

**वाटरवेज लीजर टूरिजम प्राईवेट लिमिटेड CIN: U63030DL2020PTC372580 जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-15, दूसरा तल, हौज खास, दिल्ली-110016 में है, के मामले में**

**.....आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 30 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

**ए-15, दूसरा तल, हौज खास, दिल्ली-110016**

**कृते एवं के लिये**
**वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड**
**तिथि: 21.10.2024** **हस्ता/- आदित्य गुप्ता**
**स्थान: दिल्ली** **(निदेशक) DIN: 09581950**

**प्रपत्र सं. आईएनसी-26**

**[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]**

***केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष***

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में**

**तथा**

**फायडेलिटी मैनपावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता: बी-275, नांगलोई रेलवे स्टेशन के निकट, नांगलोई, दिल्ली, दिल्ली, भारत 110045 में है, के मामले में**

**.....याचिकाकर्ता, आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"दिल्ली संघ क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार 30 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पते: बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

**पंजीकृत कार्यालय का पता: फायडेलिटी मैनपावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, बी-275, नांगलोई रेलवे स्टेशन के निकट, नांगलोई, दिल्ली, दिल्ली, भारत 110045**

**कृते एवं के लिये**
**फायडेलिटी मैनपावर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड**
**तिथि: 21.10.2024** **हस्ता/- जगदीश प्रसाद वर्मा**
**स्थान: दिल्ली** **(निदेशक) DIN: 02217237**

Piramal Finance

**पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

**सीआईएन :** एल65910एमएच1984पीएलसी032639,
**क्षेत्रीय कार्यालय :** एचडीआईएल टॉवर्स, भूतल, अनंत कनेकर मार्ग, स्टेशन रोड, बाँद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051, महाराष्ट्र
**पंजीकृत कार्यालय :** यूनिट नं. 601, 6ठवां तल, पीरामल अमिति भवन, पीरामल अगरस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फॉयर स्टेशन के सम्मुख, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई-400070

**अधिग्रहण सूचना**
**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल संपत्ति हेतु**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को मांग सूचना(एं) निर्गत की गई थीं, जिनमें सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें प्रस्तुत तालिका में अंकितानुसार बकाया एक राशि तथा इस पर ब्याज हेतु पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

| क्र. सं. | ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम | प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण | माँग सूचना तिथि एवं राशि | अधिग्रहण की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | (ऋण कोड संख्या-**M0093937**), (रायबरेली - शाखा), अंबिकेश कुमार (उधारकर्ता)/मिथलेश कुमारी (सह-उधारकर्ता) | संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश- गाटा संख्या 913 का प्लॉट भाग, गाटा संख्या 913 का प्लॉट भाग शारदा नगर ग्राम-पाली रायबरेली- 229306 में स्थित है। | 17.08.2023 हेतु रु. 14,13,395/- (चौदह लाख तेरह हजार तीन सौ पंचानबे रूपये) | 17.10.2024/ सॉंकेतिक |
| 2. | (ऋण कोड संख्या-**M0063860**), (अमेठी - शाखा), सोनी जायसवाल (उधारकर्ता)/शिवलेश जायसवाल (सह-उधारकर्ता) | संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश-गाटा संख्या-1278 ग्राम कुड़वार, परगना मीरानपुर, तहसील सदर, सुल्तानपुर- 228001 | 17.08.2023 हेतु रु. 15,72,898/- (पन्द्रह लाख बहत्तर हजार आठ सौ अट्ठानबे मात्र) | 17.10.2024/ भौतिक |
| 3. | (ऋण कोड संख्या-29100000524), (बरेली-शाखा), अनिल कुमार (उधारकर्ता)/बृजेश कुमार (बृजेन्द्र पाल उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी)/ खुशबू गौतम (बृजेन्द्र पाल के कानूनी उत्तराधिकारी)/ उपासना देवी (बृजेन्द्र पाल के कानूनी उत्तराधिकारी) बृजेंद्र पाल)/राम सहाय (बृजेंद्र पाल के कानूनी उत्तराधिकारी) /राम पियारी (बृजेंद्र पाल के कानूनी उत्तराधिकारी) | संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश- गाटा संख्या 270 का हिस्सा देश नगर बहार चुंगी पीलीभीत उत्तर प्रदेश :- 262001 | 27.10.2023 हेतु रु. 5,70,186/- (पांच लाख सत्तर हजार एक सौ छियासी रुपए मात्र) | 15.10.2024/ सॉंकेतिक |
| 4. | (ऋण कोड संख्या- **HLSA00006B7B**), (हरदोई - लखनऊ रोड - शाखा), आकाश कुमार (उधारकर्ता)/बलकोरा (सह-उधारकर्ता) | संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश- गाटा संख्या- 1099 मिनट का भाग ग्राम- लोधी परगना गोपामऊ हरदोई- 241122 पर स्थित | 03.01.2024 हेतु रु. 14,82,803/- (चौदह लाख बयासी हजार आठ सौ तीन मात्र) | 18.10.2024/ भौतिक |
| 5. | (ऋण कोड संख्या-**M0111319**), (लखनऊ- गोमती नगर- शाखा), रीता देवी (उधारकर्ता)/ सुधीर दीक्षित (सह-उधारकर्ता) | संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश- प्लॉट, नेशनल इंटर कॉलेज के पास, अलादादपुर, परगना बावड़ी, तहसील सिधौली, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261301 | 01.03.2024 हेतु रु. 10,78,875/- (दस लाख अट्ठहत्तर हजार आठ सौ पिचहत्तर रुपए मात्र) | 16.10.2024/ सॉंकेतिक |
| 6. | (ऋण कोड संख्या-29100000251), (बरेली - शाखा), रविन्द्र कुमार (उधारकर्ता) / गीता शर्मा (सह-उधारकर्ता) | संपत्ति के समस्त भाग तथा